आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

07.06.2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रतिवादी की ओर से उनके प्रतिनिधि उपस्थित है। इनके द्वारा सूचित किया गया है कि -

1. अज्ञानता के कारण इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं थी।
2. इस अनभिज्ञता से हुए कार्य के लिए क्षमा किया जाए।

इनके द्वारा क्षमायाचना के साथ स्पष्ट किये हैं कि भविष्य में कोई भी वस्तु खरीदने के पूर्व उचित जॉच कर लेंगे एवं उसका विक्रय करेंगे।

Food safety and Standards Act, 2006 के धारा 52 (1) में वर्णित है कि " Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is misbranded, shall be liable to a penalty which may extend to three lakh rupees."

इसी प्रकार धारा 52 (2) में वर्णित है कि " The Adjudicating Officer may issue a direction to the perso found guilty of an offence under this section, for taking corrective action to rectify the mistake or such article of food shall be destroyed.

Food safety Officer द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि " दिनांक-16.12.2022 को श्री रंजित सतपथी, पिता-स्व0 सुदर्शन सतपथी, मेसर्स सतपथी होटल, शेर-ए-पंजाब चौक, आदित्यपुर, जिला- सरायकेला-खरसावाँ से Khoa Barfi का सैम्पल जॉच हेतु लिया गया था। उस समय लिया गया सैम्पल की कुल मात्रा लगभग 10,000/- (दस हजार) रू0 की होगी।"

अतएव उक्त के आलोक में श्री रंजित सतपथी द्वारा दिये गये क्षमायाचना के आलोक में ऐसी पुनरावृति न होने के शर्त पर 5000/- (पांच हजार) रू0 निर्धारित शीर्ष -

मुख्य शीर्ष-0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
उप-मुख्यशीर्ष -04-लोक स्वास्थ्य
लघु शीर्ष -104-फीस और अर्थदण्ड आदि
उप शीर्ष -01-शुल्क एवं जुर्माने
विस्तृत शीर्ष -01-प्राप्तियां
इकाई-01-प्राप्तियां में एक सप्ताह के अंदर जमा करने हेतु दण्ड अधिरोपित किया जाता है। साथ ही Food Safety Officer एवं श्री रंजित सतपथी को आदेश दिया जाता है कि संबंधित खाद्य पदार्थ को नष्ट कर सूचित करें।

अभिलेख दिनांक- 13/06/2023 को उपस्थापित करें।

अपर उपायुक्त-सह-
न्याय निर्णयन पदधिकारी
सरायकेला-खरसावाँ।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
13.06.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रतिवादी के प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया है कि जुर्माने की राशि - 5000/- (पांच हजार) रूपये ई-चालान GRN No-2317617703, दिनांक- 08.06.2023 के माध्यम से जमा कर दी गई है। अतः अभिलेख की कार्रवाई बंद की जाती है। 13/6/23 अपर उपायुक्त–सह– न्याय निर्णयन पदधिकारी सरायकेला–खरसावाँ।	

Digitally signed by SUBODH KUMAR
Date: 2023.06.21 15:33:40 +05:30
Location: 192.168.43.213